

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी — जोगेन्द्र सिंह आर ए एस.

मुकदमा नम्बर 38/2025 राजस्थान वाद

01 सोहनी पुत्री श्री हीरा लाल बलाई आयु वयस्क निवासी— सोजी का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला
भीलवाड़ा (राज0) — वादीया

बनाम

01. राममल पुत्र श्री हरलाल बलाई आयु वयस्क निवासी— सोजी का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. सुन्दर पत्नी स्व0 श्री हरलाल बलाई आयु वयस्क निवासी— सोजी का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. सुखी देवी पुत्री श्री रोडा बलाई आयु वयस्क निवासी— सोजी का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. प्यारी देवी पत्नी श्री सुखा बलाई आयु वयस्क निवासी— सोजी का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. प्रेमी पुत्री श्री सुखा बलाई आयु वयस्क निवासी— सोजी का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
06. मदन पुत्र श्री सुखा बलाई आयु वयस्क निवासी— सोजी का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
07. लेडरू पुत्र श्री सुखा बलाई आयु वयस्क निवासी— सोजी का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
08. गंगा पत्नी श्री डालूराम बलाई आयु वयस्क निवासी— सोजी का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
09. चुन्नी लाल पुत्र श्री डालूराम बलाई आयु वयस्क निवासी— सोजी का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
10. परशुराम पुत्र श्री डालूराम बलाई आयु वयस्क निवासी— सोजी का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
11. ममता देवी पत्नी परसूराम बलाई आयु वयस्क निवासी— सोजी का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
13. उपपंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
14. भारतीय स्टेट बैंक शाखा बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) जरिये शाखा प्रबंधक

— प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादपत्र अन्तर्गत धारा— 88,89,92—क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तथ :-

मुकेश सिंह तंवर

रूपक्षीय

नोकार सरकार

—अधिवक्ता वादीगण

—प्रतिवादी संख्या 01 से 11

—अधिवक्ता—प्रतिवादी

:: निर्णय ::

दिनांक—08.09.2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद बनाया है। इन्द्राज दुरुस्ती का अन्तर्गत धारा 88, 89,92—क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद का पेश किया कि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 11 ग्यारह जो कि हमीर पुत्र श्री सोहनी के वारीस व उत्तराधिकारी हैं। जिनके परिवार का पारीवारिक जो कि वादपत्र की चरण संख्या 01

1927
उपखण्ड अधिकारी प
सहायक कलेक्टर क

05/1 रकबा 0.1897 हैक्टर कुल किता 05 रकबा 2.0993 हैक्टर में से आराजी नम्बर 255/1 रकबा 0.1391 हैक्टर, आराजी नम्बर 256/1 रकबा 0.6956 हैक्टर कुल किता 02 रकबा 0.8347 हैक्टर का प्रतिवादी संख्या 11 के पक्ष में निष्पादित विक्रयपत्र वादीया के 1/5 हक हिस्से की हद तक अर्ध, शून्य, प्रभावी घोषित कराया जाकर वादीया को उक्त आराजी नम्बर 255/1 रकबा 0.1391 हैक्टर, आराजी नम्बर 256/1 रकबा 0.6956 हैक्टर कुल किता 02 रकबा 0.8347 हैक्टर, आराजी नम्बर 255 रकबा 0.1391 हैक्टर, आराजी नम्बर 256/5 रकबा 0.2403 हैक्टर, आराजी नम्बर 256 रकबा 0.4932 हैक्टर, आराजी नम्बर 605 रकबा 0.1770 हैक्टर कुल किता 04 रकबा 1.0117 हैक्टर, आराजी नम्बर 456/1 रकबा 0.1518 हैक्टर, आराजी नम्बर 255/3 रकबा 0.5059 हैक्टर, आराजी नम्बर 256/4 रकबा 0.0632 हैक्टर, आराजी नम्बर 256/3 रकबा 0.1138 हैक्टर, आराजी नम्बर 256/4 रकबा 0.0632 हैक्टर, आराजी नम्बर 255/2 रकबा 0.1518 हैक्टर कुल किता 05 रकबा 0.9865 हैक्टर, आराजी नम्बर 255/2 रकबा 0.1518 हैक्टर कुल किता 05 रकबा 0.0759 हैक्टर, आराजी नम्बर 2631/102 रकबा 0.07588 हैक्टर, आराजी नम्बर 256/2 रकबा 0.0759 हैक्टर, आराजी नम्बर 605/1 रकबा 0.1897 हैक्टर, आराजी नम्बर 2632/261 रकबा 0.6829 हैक्टर, आराजी नम्बर 605/1 रकबा 0.1897 हैक्टर कुल किता 05 रकबा 2.0993 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 11 के साथ 1/5 हक हिस्से का खालेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे। इस निर्णय की पालना में तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित कराई जावे। उक्तानुसार डिक्ली जारी। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 08.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)

~~उपखण्ड अधिकारी पदेन~~

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)